क्रम-संख्या-379

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०डब्लू/एन०पी०-91/2008-10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 26 अक्टूबर, 2009

कार्तिक 4, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग-7

संख्या 1011/सात-न्याय-7-2009-50/97

लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

प० आ० 707

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या-39 सन् 1987) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) (छ) (ञ) और (ड) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति (कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम आरम्भ और लागू होना

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति (कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या समिति के समूह "ग" या "घ" के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2-उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "ग" और "घ" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3-(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में--------

(क) "आमेलन" का तात्पर्य है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व या पश्चात नियमावली के अधीन किसी कर्मचारी पर लागू नियमों के अधीन रहते हुए, जहाँ कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के किसी पद पर स्थायी रूप से आमेलित कर दिया जाय;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से है।

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के संबंध में, कार्यपालक अध्यक्ष से है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के संबंध में संबंधित जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष से है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है, और तालुक विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों के संबंध में संबंधित तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है;

(घ) 'भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ड.) 'प्रतियोगिता परीक्षा" का तात्पर्य विभिन्न पदो के लिए समय-समय पर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा यथा अवधारित टंकण, आशुलिपि आदि सहित विषयों में परीक्षा या ऐसे अन्य परीक्षणों से है;

(च) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(छ) "प्रतिनियुक्ति" का तात्पर्य और उसके अन्तर्गत ऐसा कर्मचारी है जो राज्य सरकार से या उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से या किसी सरकारी उपक्रम से प्रतिनियुक्ति पर किसी पद पर तैनात हो;

(ज) "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो सेवा में किसी पद पर सेवारत हो;

(झ) "कार्यपालक अध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से है;

(ञ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ट) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ठ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ड) "मुख्य प्रश्रयदाता" का तात्पर्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य प्रश्रयदाता से है;

(ढ) 'पदोन्नति" का तात्पर्य किसी पद पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति से है;

(ण) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति (कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009 से है;

(त) "चयन समिति" का तात्पर्य कर्मचारियों के चयन के प्रयोजनार्थ कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति से है;

(थ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण और समिति सेवा से है;

(द) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसे नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ध) "तालुक" का तात्पर्य राज्य में किसी जिले की राजस्व तहसील से है;

(न) 'भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है;

2-इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या नियमावली में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होगें जो उनके लिए अधिनियम या नियमावली में समनुदेशित है;

भाग-दो- संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा में निम्नलिखित संवर्ग सम्मिलित होंगे, अर्थात-

(क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग;

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग;

(ग) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति संवर्ग, और

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति संवर्ग।

(2)-प्राधिकरण या समिति में प्रत्येक श्रेणी के पदों की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से समय-समय पर अवधारित की जाय।

(3)-(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(ख) राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।.

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का श्रोत

5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जाएगीः-

(1) भाग-पाँच में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) भाग-पाँच में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

भाग - 4-अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7-सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:

(क) भारत का नागरिक हो;

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु यह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

8-सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :-

पद	अर्हता
निजी सचिव	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/बोर्ड से इण्टर-मीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि में क्रमशः 100 एवं 80 शब्द प्रतिमिनट की गति।
प्राशसनिक अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था / बोर्ड से इण्टर-मीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।
ज्येष्ठ सहायक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था / बोर्ड से इण्टर-मीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।
निजी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से इण्टरमीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 35 एवं 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि में क्रमशः 100 एवं 80 शब्द प्रतिमिनट की गति।
ज्येष्ठ लिपिक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/बोर्ड से इण्टर-मीडिएट या समकक्ष और हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 एवं 40 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।
लेखा लिपिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की जानकारी के साथ कनिष्ठ लिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।
आशुलिपिक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/बोर्ड से इण्टरमीडिएट या समकक्ष और हिन्दी में 35 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति सहित हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जायेगी जिन्हें अंग्रेजी आशुलिपि, टंकण एवं कम्प्यूटर की जानकारी हो।

कनिष्ठलिपिक / पुस्तकालय लिपिक / टंकक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिणिक संस्था / बोर्ड से इण्टरमीडिएट और हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट टंकण गति/ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जायेगी जिन्हें अंग्रेजी टंकण और कम्प्यूटर की जानकारी हो। पुस्तकालय लिपिक के पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को भी अधिमानता प्रदान की जायेगी जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान से डिप्लोमा किया हो।
वाहन चालक	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा आठ उत्तीर्ण और रिक्ति अधिसूचित होने के दिनांक से 03 वर्ष की अन्यून अवधि का यथाप्रयोज्य भारी या हल्के मोटर यान का विधि मान्य वाहन चालन लाइसेन्स हो।
मशीन आपरेटर सह दफ्तरी	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से कक्षा-5 उत्तीर्ण हो और साइकिल चलाना आता हो।
अर्दली / चपरासी	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा-5 उत्तीर्ण हो और साइकिल चलाना आता हो।
स्वीपर सह फर्राश	साक्षर

अधिमानी अर्हता

9-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10-सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो:

परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा ऐसी अन्य श्रेणियों जिन्हें समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय के मामलों में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम यानिकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फन्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग-पांच- भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15-भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले में

1- नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात सदस्य सचिव,

2-सचिव और

3-दो ऐसे अधिकारी होंगे जो अपर जनपद न्यायाधीश की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले में

1- नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात अध्यक्ष,

2-सचिव और

3-दो ऐसे अधिकारी होंगे जो सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मामले में:

1- नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात अध्यक्ष,

2-सचिव और

3-दो ऐसे अधिकारी होंगे, जो जनपद न्यायाधीश की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों का ऐसा व्यक्ति होगा और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति के मामले में:-

1- नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात अध्यक्ष,

2-सचिव

3-दो ऐसे अधिकारी होंगे, जो सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) की श्रेणी से अनिम्न हों जिनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जातियों का ऐसा व्यक्ति हो और दूसरा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) चयन समिति, आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी

टिप्पणी - प्रतियोगिता परीक्षा की प्रकिया ऐसी होगी जैसी प्राधिकरण/संबंधित समिति द्वारा अवधारित की जाय।

(3) अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात, चयन समिति नियम 5 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला सकती है जितनी संख्या में समिति द्वारा, इस सम्बन्ध में नियत मानक के अनुरूप, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आये हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों से प्रकट हो, और जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। चयन समिति, पद पर उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पचीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम में रखे गये अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) नियम 15 में निर्दिष्ट चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले में विचार करेगी और यदि उचित समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है।

(4) चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में रखे चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

टिप्पणी :- "चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) कर्मचारियों की पदोन्नति तृतीय श्रेणी (समूह-ग) के कर्मचारियों के निम्नतम् वेतनमान में, पदोन्नति के समय लागू आदेशों के अनुसार, की जायेगी।"

संयुक्त चयन सूची

17-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां दोनों प्रकार से-सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो सुसंगत सूची में से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत का कोटा बना रहे और सूची में प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का हो।

उदाहरण

(एक) माना कि किसी सेवा में नियुक्ति दोनों प्रकार से-सीधी भर्ती (डी) द्वारा और पदोन्नति (पी) द्वारा 75:25 के अनुपात में की जानी है और किसी विशिष्ट वर्ष में 20 रिक्तियां हों। ऐसे मामले में 15 रिक्तियां सीधी भर्ती के लिए होंगी और 5 रिक्तियां पदोन्नति व्यक्तियों के लिए होंगी। चयनोपरान्त संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगीः

1-डी	6-डी	11-डी	16-डी
2-डी	7-डी	12-डी	17-पी
3-डी	8-डी	13-पी	18-डी
4-डी	9-पी	14-डी	19-डी
5-पी	10-डी	15-डी	20-डी

(दो) यदि उपर्युक्त मामले में, किसी वर्ष (एक्स) में, विहित कोटे के अनुसार 8 व्यक्तियों की भर्ती पदोन्नति द्वारा और 12 व्यक्तियों की भर्ती सीधे रूप से की जाय और नियम या जहाँ नियम न हों, वहां तत्समय प्रवृत्त सुसंगत आदेश किसी श्रोत की बिना भरी रिक्तियों को सीधी भर्ती के कोटे में कमी में से भरे जाने की अनुमति न प्रदान करें, तो 20 रिक्तियां में से 18 सीधी भर्ती के लिए और 2 पदोन्नत व्यक्तियों की भर्ती द्वारा आगामी वर्ष (वाई) में उनकी पूर्ति कर ली जाय। वर्ष (एक्स) और (वाई) में संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगीः

(एक्स) वर्ष			(वाई) वर्ष
1-डी	10-डी	1-डी बिना भरी	11-डी
2-डी	11-डी	2-डी कोटा	12-पी वर्ष एक्स की अतिरिक्त
3-डी	12-डी	3-डी (एक्स) वर्ष	13-डी
4-डी	13-पी	4-पी वर्ष (एक्स) की अतिरिक्त	14-डी
5-पी	14-डी	5-डी	15-डी
6-डी	15-डी	6-डी	16-पी
7-डी	16-डी	7-डी	17-डी
8-डी	17-पी	8-पी वर्ष (एक्स) की अतिरिक्त	18-डी
9-पी		9-डी	19-डी
		10-डी	20-पी

(तीन) यदि उदाहरण (दो) में उल्लिखित मामले में, नियम या, जहां नियम न हों तत्समय प्रवृत्त सुसंगत आदेश में किसी श्रोत के बिना भरी रिक्तियों को विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के अन्य श्रोतों से भरे जाने की व्यवस्था हो और सीधी भर्ती की 3 बिना भरी रिक्तियां इस प्रकार पदोन्नति द्वारा भरी जाये तो सुसंगत चयन सूची निम्न चक्रानुक्रम में होगी:

1-पी	7-डी	13-डी	19-पी
2-डी	8-डी	14-डी	20-पी
3-डी	9-पी	15-डी	
4-डी	10-डी	16-डी	
5-पी	11-डी	17-पी	
6-डी	12-डी	18-पी	

भाग छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा

(2) जहां किसी भर्ती के वर्ष में नियुक्तियां दोनों प्रकार से-सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जानी हों, वहां नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि चयन दोनों श्रोतों से न कर लिया जाय और संयुक्त सूची नियम 17 के अनुसार तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां दोनों प्रकार से सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जाये तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में व्यवस्थित किये जाएंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची से भी अस्थायी या स्थानापन्न रूप से नियुक्तियां करेगा। यदि इस सूची में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति में नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां इस नियमावली के अधीन एक वर्ष से अधिक की अवधि तक या अगले चयन के पश्चात तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, नहीं होगी।

परिवीक्षा

19.-(1) सेवा में किसी पद पर किसी स्थाई रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि-

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त हो।

ज्येष्ठता

21-(1) इसमें इसके पश्चात उपबंधित के सिवाय पद की किसी श्रेणी में व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेशों के दिनांक से अवधारित की जाएगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जैसी उस आदेश में क्रमानुसार व्यवस्थित होः परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट है जब से कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया गया है तो उक्त दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामले में उसका तात्पर्य आदेश जारी होने का दिनांक होगा परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो नियम-18 के उपनियम (3) के अधीन जारी नियुक्ति के संयुक्त आदेश के उल्लेखानुसार ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसी चयन समिति द्वारा अवधारित की जायः

परन्तु यह कि सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, यदि यह रिक्ति प्रदान किये जाने पर बिना विधि मान्य कारण के कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, अपनी ज्येष्ठता खो सकता है और कारण की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसी वह उस संवर्ग में थी जिससे वे पदोन्नत किये गये थे।

(4) जहाँ नियुक्तियां दोनों प्रकार से पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा या एक से अधिक स्रोतों से की जाये और स्रोतों के अपने-अपने कोटे विहित किये जायें वहाँ पारस्परिक ज्येष्ठता नियम-17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में चकानुक्रम के अनुसार नामों को इस प्रकार व्यवस्थित करके अवधारित की जायेगी कि विहित कोटा बना रहे : परन्तु

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ, विहित कोटा से अधिक की जायें वहाँ कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए जिसमें कोटा के अनुसार रिक्तियों हों, ज्येष्ठता के निमित्त नीचे रख दिया जाएगा।

(दो) जहाँ किन्हीं स्रोतो से नियुक्तियों विहित कोटा से कम की जायें और बिना भरी गयी रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियों अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायें वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं प्राप्त करेंगे, किन्तु उस वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियों की जायें, तथापि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली, उस वर्ष की सम्मिलित सूची में उनके नाम ऊपर रखे जायेंगे जिसके पश्चात अन्य नियुक्त व्यक्तियों के चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से न भरी गयी रिक्तियों भरी जायें और कोटा से अधिक नियुक्तियों की जायें वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे, मानो वे अपने कोटा के सापेक्ष रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त किये गये हों।

भाग-सात, वेतन-इत्यादि

वेतनमान

22-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न या अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संवर्ग, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति संवर्ग और तालुक विधिक सेवा समिति संवर्ग के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान वही है जो कमशः अनुसूची क,ख,ग एवं घ में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वैतन

23-(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग -आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25-ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

27-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव ।

अनुसूची – क

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

क्रम स0	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	निजी सचिव	1	रू0 6500-200-10500
2	वैयक्तिक सहायक	3	रू0 5500-175-9000
3	आशुलिपिक	2	रु० 4000-100-6000.
4	प्रशासनिक अधिकारी	1	रू0 5500-175-9000
5	प्रवर वर्ग सहायक	3	रू0 4500-125-7000
6	लेखा लिपिक	1	रू0 4000-100-6000
7	वरिष्ठ लिपिक	1	रू0 4000-100-6000
8	टंकक	2	रू0 3050-75-3950-80-4590
9	कनिष्ठ लिपिक	3	रू0 3050-75-3950-80-4590
10	पुस्तकालय लिपिक	1	रू0 3050-75-3950-80-4590
11	अर्दली / चपरासी	10	रू0 2550-55-2660-60-3200
12	दफतरी सह मशीन आपरेटर	1	रू0 2610-60-3150-65-3540
13	वाहन चालक	3	रू0 3050-75-3950-80-4590
14	सेवक	1	रू0 45/- प्रतिदिन
15	स्वीपर कम फर्राश	1	रू0 500/- प्रतिमाह नियत वेतन

एस०एम०ए० आब्दी

प्रमुख सचिव ।

अनुसूची-''ख''

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

क्रम स0	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	कनिष्ठ लिपिक	57	रु० 3050-75-3950-80-4590
2	अर्दली / चपरासी	57	रू0 2550-55-2660-60-3200

एस०एम०ए० आब्दी,

प्रमुख सचिव।

अनुसूची - ग

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

क्रम स0	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	कनिष्ठ लिपिक	2	रू0 3050-75-3950-80-4590
2	अर्दली / चपरासी	2	रू0 2550-55-2660-60-3200

एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची - घ

तालुका विधिक सेवा समिति

क्रम स0	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1	कनिष्ठ लिपिक	शून्य	
2	अर्दली / चपरासी	शून्य	

एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव ।